तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म ... में ...
6/04/26	पत्रावली ~~वास्ते~~ पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि. 27/04/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 06/4/26	
27/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि. 01/6/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 27/4/26	
1/6/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उप० प्रा०पत्र 09 R9 CPC बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 08/6/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 01/6/26	
08/6/26	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। बहस प्रा०पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के विरुद्ध दि. 10/04/2018 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी जबकि उक्त प्रा०पत्र को set aside करने का प्रा०पत्र 09 R9 CPC	

	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील 8½ वर्षों बाद पेश किया गया। अपील 2 वर्षों की corona period का relaxation माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने standing आदेश (March 2020 से 2022 तक) में दिया जा चुका है। ex-parte order passed u/s o9r9 के को set aside कराने का प्रार्थना under article 123 of the Limitation Act अन्तर्गत सीमा 30 days की है। प्रार्थिया ने धारा-5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर delay condone करने का निवेदन किया है। प्रार्थिया ग्रामीण परिवेश की गरीब व अशिक्षित महिला होने और वकील द्वारा समय पर सूचना नहीं देने, प्रकरण का Merit पर निर्णय होना न्यायोचित होने आदि कारणों से 2000/- रुपये की cost पर प्रार्थिया का प्रा० पत्र O9 R9 CPC r.w.s 151 CPC स्वीकार किया जाता है। ex-parte order Dated 10/04/2018 को set aside किया जाकर प्रकरण को restore किया जाता है। प्रकरण (मूलवाद) को जिला रिकार्ड रूम से तलब किया जावें। प्रकरण/प्रा०पत्र केवल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)	